न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः – सतीश कुमार गुप्ता)

<u>आप0 अपील क0 20/2018</u> प्रस्तुति दिनांक 21/02/18

STINGTO BELOVE

1.पंकज गौड़ पुत्र ब्रजनारायण गौड़ आयु 25 वर्ष 2.दीपेश गौड़ पुत्र ब्रजनारायण गौड़ आयु 20 वर्ष उक्त दोनों निवासी वार्ड नंबर 5 नूरगंज गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

//विरूद्ध//

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड, (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

अपीलार्थीगण की ओर से – श्री पी०के० वर्मा अधिवक्ता। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जे.एम.एफ.सी गोहद द्वारा आपराधिक प्र०क० 1512/2013 में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 22.01.2018 से उत्पन्न आपराधिक अपील कमांक 20/2018

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक 18-05-2018 को घोषित)

01. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पंकज व दीपेश की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील न्यायालय—सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1512/2013 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड विरूद्ध पंकज गौड़ आदि) में पारित निर्णय दिनांकित 22.01.2018 अनुसार की गई दोषसिद्धी व दण्डादेश से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / अभियुक्तगण पंकज व दीपेश को धारा 294 व 506 भाग—2 भाठदं०सं० के आरोप से दोषमुक्त करते हुये धारा 323/34 भाठदं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्तगण / अपीलार्थीगण में से प्रत्येक को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 10—10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि 02. दिनांक 16.11.2013 को सुबह करीब 8:00 बजे फरियादी आकाश अपना जामफल का ठेला लेकर थाना गोहद क्षेत्रांतर्गत बस स्टेण्ड गोहद पर खड़ा था, तभी अभियुक्तगण पंकज व दीपेश वहां आये व जामफल लिये। फरियादी आकाश ने अभियुक्तगण से जामफल के पैसे मांगे तो अभियुक्त पंकज ने उसे गालियां देते हुये कहा कि कितने पैसे हुये तो इस पर उसने अभियुक्तगण से कहा कि 20 रूपये हुये हैं, इसी बात पर अभियुक्त पंकज ने उसे मां बहन की गालियां दी एवं अभियुक्तगण ने लात-घूसों से उसकी मारपीट की, जिससे उसकी पसलियों व कनपटी में चोटें आईं थी। पंकज ने उसे पटक दिया था तथा दीपेश ने उसे लातें मारी थीं, जो उसकी बायीं जांघों पर लगी। मौके पर फिरोज, सोनू व फरियादी की चाची मीना आ गई थीं, जिन्होंने बीच बचाव कराया व घटना देखी थी। जाते समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केंद्र गोहद में उक्त दिनांक को 12:10 बजे उपस्थित होकर फरियादी आकाश द्वारा मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 294, 506—बी, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अप0क0 221/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 बनाते हुये साक्षीगण आकाश खटीक, फिरोज तथा मीना के कथन लेखबद्ध किये गये और अभियुक्त पंकज व दीपेश को क्रमशः गिरफतारी पत्रक प्र0पी0-4 व 5 अनुसार गिरफतार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

- 03. विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34 व 506 भाग—2 भा0दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध घटित किया जाना अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्षीगण आकाश अ०सा0—1, श्रीमती मीना अ०सा0—2, एएसआई तहसीलदार सिंह भदौरिया अ०सा0—3, प्र0आर० वीरेंद्र सिंह अ०सा0—4, सोनू अ०सा0—5 एवं फिरोज अ०सा0—6 को परीक्षित कराया गया।
- 04. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने के दौरान अभियुक्तगण ने निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात् उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर गुण–दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करते हुये दिनांक 22.01.2018 को आलोच्य निर्णय एवं दोषसिद्धी व दण्डादेश पारित करते हुये अभियुक्तगण को धारा 294 व 506 भाग–2 भाठदंठसंठ के आरोप से दोषमुक्त करते हुये धारा 323/34 भाठदंठसंठ के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिकम होने पर अभियुक्तगण को 10–10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कथित दोषसिद्धी व दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।
- 05. अपीलार्थी / अभियुक्तगण की ओर से वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धी व दण्डादेश विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों में अत्यधिक विरोधाभाष होने एवं फिरयादी / पीड़ित के कथन विश्वासप्रद नहीं होने से दोषसिद्धी व दण्डादेश को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
- **06.** राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय अनुसार दोषसिद्धी व दंडादेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

07. अपीलार्थी / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी०के० वर्मा एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0 1512 / 2013 (म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड विरूद्ध पंकज व अन्य) का अवलोकन किया गया।

08. अपीलार्थी / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत इस अपील के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न हैं:—

1. क्या योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1512/2013 में अभियुक्त/अपीलार्थीगण पंकज व दीपेश की धारा 323/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का जो निष्कर्ष निकाला है, वह त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

09. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुये इस अपील प्रकरण के एवं उसके साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक 1512/13 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड विरूद्ध पंकज व अन्य) के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन किये जाने पर पाया जाता है कि मामले में फरियादी/पीड़ित आकाश अ0सा0-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण पंकज व दीपेश को जानते हुये कहना है कि घटना को लगभग दो साल हो गये हैं वह घटना दिनांक को अमरूद का ठेला लिये हुये था, तभी अभियुक्तगण ने आकर उससे अमरूद तुलवाये और पैसे नहीं दिये थे एवं अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये उसे चांटा मार दिया था तथा उसकी डण्डे और लात-घूसों से मारपीट कर दी थी और उक्त घटना में उसके चांचा व चांची ने आकर बींच बचाव किया था। तत्पश्चात उसने उक्त घटना के संबंध में थाना गोहद में रिपोर्ट प्र0पी0-1 लिखाई थी, जिस पर से पुलिस ने घटनास्थल का मानचित्र प्र0पी0-2 बनाया था। यद्यपि मामले में रिपोर्ट लेखक तहसीलदार सिंह अ०सा0-3 ने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट लिखना तथा विवेचक वीरेंद्र सिंह अ०सा0-4 ने विवेचनात्मक कार्यवाही को संपादित किया जाना बताया है,

लेकिन अभियोजन के अनुसार दोनों स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण सोनू अ०सा०–5 व फिरोज अ०सा०–6 के कथनों से फरियादी / पीड़ित आकाश अ०सा०–1 के उक्त कथनों का रंचमात्र भी समर्थन होना नहीं पाया जाता है।

- 10. अभियोजन के अनुसार स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण सोनू अ०सा०–5 व फिरोज अ०सा०–6 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये पुलिस को कोई कथन नहीं दिया जाना बताया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ द्वारा उक्त दोनों साक्षीगण से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि स्वयं फरियादी / पीड़ित आकाश अ०सा०–1 का ही अपने न्यायालयीन कथनों में ही अभियोजन के मामले के अनुरूप ऐसा कदापि कहना नहीं है कि प्रश्नगत मारपीट की घटना के समय साक्षीगण सोनू अ०सा०–5 व फिरोज अ०सा०–6 ने आकर बीच बचाव किया था। अतः ऐसी स्थित में यह भी नहीं माना जा सकता है कि उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षीगण अभियोजन के मामले से असत्य रूप से मुकर गये हैं।
- 11. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी श्रीमती मीना अ०सा०—2, जो कि फरियादी आकाश की चाची है, के न्यायालयीन कथनों के अवलोकन से भी फरियादी / पीड़ित आकाश अ०सा०—1 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि होना नहीं पाई जाती है, क्योंकि श्रीमती मीना अ०सा०—2 का अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी आकाश की मारपीट कर दी थी, बल्कि उक्त साक्षी का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के इस मामले के विपरीत कहना है कि प्रश्नगत घटना शाम के 3—4 बजे की है एवं उक्त घटना बस स्टेण्ड की नहीं होकर इटावली गेट के बाहर स्थित उसके दुकान के सामने की है और घटना के समय अभियुक्तगण ने आकर फरियादी का जामफल उठाकर खा लिया था तो उभयपक्ष के मध्य बहस एवं मारपीट होने लगी थी तो उसके पित मूलचंद ने जाकर बीच बचाव किया था तो दोनों अभियुक्तगण ने उसके पित की मारपीट कर दी थी, जिससे उसके उंगली में व सिर में चोटें कारित हुई थीं और उसने उक्त संबंध में थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, जबिक ऐसा कोई अभियोजन का मामला ही नहीं है। साथ ही फरियादी / पीड़ित आकाश अ०सा0—1 श्रीमती मीना को अपनी चाची होना बताया है, जबिक श्रीमती मना अ०सा0—2 का अपने

न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है, बल्कि उसका कहना है कि इटावली गेट के बाहर स्थित उसकी दुकान के सामने एक आकाश नाम का लड़का दुकान लगाता है। अतः श्रीमती मीना अ0सा0—2 के उक्त कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाने से तथा फरियादी / पीड़ित आकाश अ0सा0—1 एवं श्रीमती मीना अ0सा0—2 के उक्त कथनों के मध्य महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष उपरोक्तानुसार होना पाये जाने से फरियादी / पीड़ित आकाश अ0सा0—1 के कथनों की पुष्टि स्वयं उसकी ही चाची श्रीमती मीना अ0सा0—2 के कथनों से भी नहीं होना पाई जाती है। तदनुसार मामले में फरियादी / पीड़ित आकाश अ0सा0—1 के उक्त कथनों की सत्यता के विपरीत अनुमान इंगित होता है।

- 12. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि फरियादी / पीड़ित आकाश द्वारा प्रश्नगत घटना के संबंध में करीब 4 घंटे विलंब से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबिक अभियोजन के अनुसार घटनास्थल थाना गोहद के पास में ही स्थित बस स्टेण्ड गोहद का है और विलंब से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में फरियादी / पीड़ित आकाश अ0सा0—1 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में कोई भी संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः उक्त आधार पर भी मामले में फरियादी / पीड़ित आकाश अ0सा0—1 के उक्त कथनों के विपरीत अनुमान इंगित होता है।
- 13. इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फिरियादी/पीडित आकाश अ0सा0—1 के न्यायालयीन कथनों तथा उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के मध्य महत्वपूर्ण एवं सारवान विसंगतियां अभिलेख पर मौजूद हैं, क्योंकि फिरियादी/पीडित आकाश अ0सा0—1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा चांटा मारते हुये उसकी लात—घूसों व डण्डे से मारपीट किया जाना बताया है और मारपीट की घटना के समय उसके चाचा एवं चाची द्वारा आकर बीच बचाव करना बताया गया है, जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें फिरियादी/पीडित आकाश अ0सा0—1 द्वारा यह लेख कराया गया है कि अभियुक्तगण ने उसकी लात—घूसों से मारपीट की थी एवं जमीन पर पटक दिया था एवं मौके पर फिरोज, सोनू एवं उसकी चाची मीना ने आकर बीच बचाव किया था। साथ ही घटनास्थल बस स्टेण्ड पर घटना घटित होने के संबंधी फिरियादी/पीडित आकाश अ0सा0—1 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि घटनास्थल के मानचित्र प्र0पी0—2 सिहत स्वयं उसकी चाची श्रीमती मीना अ0सा0—2 के कथनों से होना नहीं पाई जाती

है, क्योंकि श्रीमती मीना अ०सा0—2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना बस स्टेण्ड से भिन्न इटावली गेट के बाहर स्थित उसके दुकान के सामने की होना बताया है, जबकि घटनास्थल के मानचित्र प्र0पी0—2 में बस स्टेण्ड से कस्बा की ओर जाने वाली आमरोड की होना बताई गई है। अतएव फरियादी / पीडित आकाश अ०सा0—1 के उक्त कथनों की स्वयं उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 एवं घटनास्थल के मानचित्र प्र0पी0—2 से भी भली भांति पुष्टि होना नहीं माना जा सकता है।

फरियादी / पीडित आकाश अ०सा०-1 का अपने मुख्य परीक्षण में जहां एक ओर कहना है 14. कि प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्तगण ने चांटा मारते हुये उसकी लात-घूसों एवं डंडो से मारपीट कर दी थी, वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसने घटना के बाद अपनी स्वयं की इच्छा से मेडीकल परीक्षण नहीं कराया था और घटना के एक दिन बाद मेडीकल परीक्षण कराया था, जबिक कथित मेडीकल परीक्षण के संबंध में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है और मामले में रिपोर्ट लेखक होकर तटस्थ साक्षी तहसीलदार सिंह अ०सा0-3 का अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 2 में स्पष्ट रूप से कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने फरियादी आकाश के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं देखे थे, इसलिये उसके द्वारा उसे मेडीकल परीक्षण के लिये नहीं भेजा गया था। यदि वास्तव में फरियादी / पीडित आकाश अ०सा0-1 के कहे अनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर फरियादी / पीडित आकाश अ०सा०–1 की लात घूसों एवं लाठी से मारपीट की गई होती तो कोई कारण नहीं कि फरियादी / पीडित आकाश अ०सा0-1 को चोटें कारित नहीं होती और संबंधित पुलिस द्वारा उसका मेडीकल परीक्षण नहीं कराया जाता। अतएव फरियादी / पीडित आकाश अ०सा०–1 के उक्त कथन महत्वपूर्ण मेडीकल प्रमाणों से भी कदापि पुष्ट होना नहीं पाये जाते हैं, बल्कि फरियादी / पीडित आकाश अ०सा०–1 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा डण्डा से मारपीट किये जाने के बिंदु पर सारतः बढ़ा-चढाकर कथन किये जाने से एवं प्रश्नगत घटना के समय साक्षीगण सोनू, फिरोज व चाची श्रीमती मीना के स्थान पर केवल उसके चाचा-चाची द्वारा आकर बीच बचाव करने के संबंध में मामले से असंगत कथन किये जाने से फरियादी / पीडित आकाश अ०सा०-1 के उक्त कथनों की विश्वसनीयता अधिक्षेपित होकर उसके कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाते

हैं और उक्त समस्त के प्रकाश में मामले में अभियुक्तगण द्वारा झूंटा फंसाये जाने के संबंध में लिये गये बचाव के सही होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

- 15. परिणामतः उपरोक्तानुसार निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मामले में फरियादी/पीडित आकाश अ०सा0—1 के उक्त कथन सिहत अभियोजन का यह मामला युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वासप्रद स्वरूप का नहीं होने से योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34 भा०दं०सं० के आरोप में की गई दोषसिद्धी व दण्डादेश निश्चित ही अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य सिहत विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से इस अपील न्यायालय की शिक्तयों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है एवं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त/अपीलार्थीगण पंकज व दीपेश की और से प्रस्तुत यह अपील उचित होने से स्वीकार कर मामले में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पंकज व दीपेश के विरूद्ध धारा 323/34 भा०दं०सं० में पारित दोषसिद्धी एवं दण्डाज्ञा दिनांकित 22.01.2018 को विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्तगण के द्वारा मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि 500—500 रूपये दोनों का कुल 1000/— रूपये विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विधिवत वापस किये जावे।
- 17. अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18. निर्णय की प्रति सहित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1512/13 का मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) 22.

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

> (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

ALIAN PARENTA SUNTA